न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 01/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/6

1. श्रीमती मंजू गोयल पत्नी श्री भगतसिंह उम्र 36 वर्ष जाति मेघवाल निवासी 6 एफ बडा कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती पाली पत्नी स्व. राजकुमार जाति बावरी, निवासी वार्ड नं. 3 गांव 5 पी, कोनी, तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
3. रेशम पुत्र स्व. राजकुमार जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 3 गांव 5 पी, कोनी तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
4. कृष्णा पुत्री स्व. राजकुमार जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 3 गांव 5 कोनी, तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. रणदीपसिह पुत्र स्व. राजकुमार जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 3 गांव 5 पी कोनी तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री गोविन्द डूडी — अभिभाषक अपीलांट
श्री तेजकुमार शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 5

निर्णय

दिनांक 28.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 5 पी बडी खाता संख्या 12/16 का मुरब्बा नंबर 5 में कुल 3.163 हैक्टयर नहरी संयुक्त खाता की भूमि में से हिस्सा 791/3163 अर्थात 0.79 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट्स 2 के पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 के पिता राजकुमार पुत्र श्री मिटठूसिंह से खरीद की। अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट के यहां नामांतरकरण दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट ने अपने आदेश दिनाक 12.03.2024 द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट को नामांतरण खारिज कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट के आदेश दिनांक 12.03.2024 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.12.2024 को आदेश पारित कर उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट के आदेश को बहाल रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के उक्त अपीलाधीन दिनांक 04.12.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा दिनांक 12.03.2024 को अपने आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया व एक तरफा आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का उल्लधन करते हुए स्वेच्छाचारिता पूर्ण आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय यह अंकित करते हुए अपीलांट की खरीदशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 505 निरस्त कर दिया गया कि उक्त नामांतरण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है तथा ऐसा नामांतरण जो धारा 42बी के उल्लंघन में दर्ज किया गया है वह शून्य होने कारण उसे निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्राप्त हैं जिस कारण राजस्थान सरकार राजस्व विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ/11(22)राज./ख/ग्रुप–1/62 दिनांक 11.02.2009 के अनुसार धारा 42 बी राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि केवल उन्ही अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषि भूमि को बेचान दान या वसीयत के रूप में प्रदान की जा सकती हैं जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुसूचि में अंकित है। इस कारण अपीलार्थी पंजाब राज्य की अनूसूचित जाति की श्रेणी में आने एवं राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति में नहीं माना जाने के कारण इंतकाल संख्या 505 विधि विरूद्ध प्रतीत होने से निरस्त किया जाता है। जबकि सही कानूनी बस्तु स्थिति यह है कि अपीलांट पंजाब राज्य में मेघ जाति की अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसका अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया हैं तथा जो राजस्थान राज्य में चक 6 एफ कोनी श्रीगंगानगर में भगतसिंह मेघवाल की विवाहिता है। जिनका मूल निवासी प्रमाण–पत्र भी तहसीलदार श्रीगंगानगर से दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान राज्य का जारी किया जा चुका है। अपीलांट अब राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति मेघवाल के सदस्य से विवाहित होने से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्य से होने से कृषि भूमि खरीद करने की विधिक अधिकारिता रखती है। जो किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी का उल्लंघन नही करती है। नामांतरण संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 भी विधि अनुरूप दर्ज किया गया हैं। फिर भी उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये आनन फानन में दिनांक 12.03.2024 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारार 42बी में वर्णित प्रावधानों एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.02.2009 की गलत रूप से व्याख्या कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित किया हैं जो गलत हैं। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रशान श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 04.12.2024 तथा न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 एवं उसकी अनुपालना में दर्ज किये गए पुनर्विलोपित नामांतरकरण संख्या 505 दिनांक 13.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की खरीद की गई भूमि पर उसके नाम से नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 ने अपनी लिखित जवाब बहस में कथन किया है कि उक्त अनवानी प्रकरण मं अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है वह स्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पति व पिता द्वारा अपीलांट को वादगत कृषि भूमि विक्रय की है अपीलांट सदभाविक क्रेता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की सहमति से ही उक्त भूमि प्रतिफल के बदले अपीलांट को विक्रय की है एवं अपीलांट श्री गंगानगर राजस्थान की मूल निवासी है इस कारण अपीलांट की अपील मंजूर की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को कोई ऐतराज नही है ना ही कोई आपत्ति है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 जिसकी पालना में अपीलांट के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 निरस्त किया गया है वह न्यायोचित नहीं हैं क्योकि अपीलांट के पक्ष में जारी नामांतरकरण पंजाब में निवासी एवं जाति का हवाला देकर खारिज किया गया है जबकि <u>राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के अनुसार धारा 42 ख अन्य प्रदेश में रहने वाले दलितों के संबंध में जारी निर्देश 37"ख अनुसूचित जाति से अभिप्राय संविधान(अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950</u>

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के भाग 12 के भीतर कोई भी जनजातियों या जनजाति समुदायों से अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग से या तदन्तर्गत समूहों से होगा। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि सिर्फ उन्ही अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में अंकित है और जो राजस्थान के निवासी है और स्थिति यह उभरती है कि अनुसूचित जाति जनजाति की कृषि भूमि का बेचान, दान, वसीयत उन लोगो के लिए वर्जित है जो राजस्थान के निवासी नही है और जिनका नाम राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में नही ऐसे हस्तातरण को धारा 42 के तहत विधि शून्य(वोइड) माना जाता है। किन्तु अपीलांट भूमि खरीद की दिनांक से पूर्व राजस्थान की मूल निवासी थी एवं जाति मेघ थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची अनुसार अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। अपीलांट राजस्थान राज्य में चक 6 एफ कोनी श्रीगंगानगर में भगतसिंह मेघवाल की विवाहिता है और अपीलांट का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी तहसीलदार श्रीगंगानगर से दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान राज्य का जारी किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी की उचित व्याख्या नही की है। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2024 व उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट का निर्णय दिनांक 12.03.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उक्त प्रकरण में दस्तावेजों जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 का लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर